कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड.,लो.नि.वि.,मैनपुरी

पत्रांक : 2658/रसी

दिनांक 04/12/2020

सेवा में,

श्रीमान धर्मपाल गुप्ता
महाप्रबंधक– परियोजना
शहरी गैस वितरण परियोजना
यू.पी. क्लस्टर प्रथम तल,
एस.ए., 72/79
डी.डी. पुरम, बरेली–243122

विषयः– शिकोहाबाद भोगॉव मार्ग पर (एस0एच0–84) भोगॉव से ईसन नदी पुल गोल चक्कर तक नैचुरल गैस पाइप लाइन एवं आ.एफ.सी. केबिल डालने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक– HPCL/CGD/MAIN/25 19.08.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने एस.बी.आई. की बैंक गारन्टी सं.–0012520BG0000034 को दिनांक 04.08.2020 को रू. 1.00 लाख (रू. एक लाख मात्र) जिसकी वैद्यता दिनांक 30.09.2022 तक है। एवं एफ0डी0आर0 जमा किया गया है जिसकी धनराशि (रु0 11527600.00) सिक्योरिटी,विभाग के पास जमा रहेगी। अतः मुख्य सचिव उ.प्र. शासन के शा.सं.–760/नौ–2018–101ज/17 दिनांक 30.05.2018 के अनुपालन में मार्ग के मध्य भाग से बांयी ओर 12.50 मी. छोडकर मार्ग के कच्चे भाग में मिट्टी खोदकर नैचुरल गैस पाइप लाइन एवं ओ.एफ.सी. केबिल (ऑप्टिकल फाईबर) बिछाने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

1. रोड कटिंग करते समय आवश्यक चेतावनी/बोर्ड/बैरीकेटस व रात्रि में प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाए। कार्य करते समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए आप पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
2. कार्य करने के दौरान यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
3. भूमिगत नैचुरल गैस पाइप लाइन एवं ओ.एफ.सी. केबिल बिछाते समय अन्य भूमिगत सेवाओं को क्षति पहुँचने की स्थिति में उसे पूर्व की भॉति तत्काल मरम्मत कराने का दायित्व आपका होगा।
4. आबादी भाग में खोदे गये गढ्डे को चारों ओर से बैरिकेटिंग/टीन आदि लगाकर सुरक्षित किया जाये ताकि गढ्डे में कोई व्यक्ति/बच्चा अथवा जानवर आदि न गिर जाये। सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धित पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता/कार्यदायी संस्था का होगा।
5. पुर्नस्थापना की गुणवत्ता कार्य पूर्ण होने के पश्चात् लो.नि.वि. की संतुष्टि और विशिष्टताओं के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
6. भविष्य में मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में आवश्यकता होने पर आपके द्वारा गैस पाइप लाइन एवं ओ.एफ.सी. केबिल स्थानान्तरित करने की व्यवस्था आपने व्यय पर स्वयं वहन करनी पडेगी।
7. कार्य सम्पन्न होने के पश्चात सम्बन्धित लो.नि.वि. के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को आवश्यक रूप से अवगत कराना होगा।
8. उपरोक्त कार्य हेतु निर्गत एन.ओ.सी. के निरस्तीकरण का पूर्ण अधिकार लोक निर्माण विभाग के पास रहेगा।
9. उपरोक्त बिन्दुओं के क्रम में यदि किसी बिन्दु का अक्षतः पालन नहीं किया जाता है तो आपके विरूद्ध नियमानुयार कार्यवाही की जायेंगी, जिसमें आपका कोई भी दावा /क्लेम मान्य नहीं होगा।

(अनिल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,मैनपुरी

दिनांक : /12/2020

पत्रांक :
प्रतिलिपिः–

1. परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई., निकट गोयल नर्सिंग होम कमलानगर, आगरा पिनकोड–282004 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता–प्रथम, प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,मैनपुरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अवर अभियन्ता (प्रावै.), प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,मैनपुरी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,मैनपुरी

Scanned with CamScanner